न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट

उपस्थित- संजय कुमार-V....................................... (उ0 प्र0 न्यायिक सेवा)

मुकदमा सं0-22/2022

UPCH040000692022

सरकार बनाम
1- रामकृपाल सिंह पटेल पुत्र भगवानदीन
2- सत्यनारायण पटेल पुत्र रामप्रसाद
3-वीर सिंह पटेल पुत्र शिवकुमार
4- निर्भय सिंह उर्फ सन्तू सिंह पुत्र मनबोधन
5-शक्ति प्रताप सिंह पुत्र उदयवीर
6- भैयालाल यादव पुत्र विन्देश्वरी प्रसाद
7-राजबहादुर पुत्र सुखराम यादव
8-गौरीशंकर पुत्र पुनियानन्द
9-भोलानाथ खंगार पुत्र कल्लू प्रसाद
10- कुबेर पटेल पुत्र रामसजीवन
11- विनय प्रकाश पुत्र धर्मदास
12- हरीगोपाल उर्फ बबलू पुत्र महानन्द
13-नरेन्द्र गुप्ता पुत्र रामलाल
14- कमल मौर्य पुत्र शिवनारायन
15-मनोज सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह
16- रामगोपाल केशरवानी पुत्र बदलू
17-सुनील सिंह पुत्र रामकृपाल पटेल
18- मो० गुलाब खाँ पुत्र भाऊ खाँ
19- राजेन्द्र शुक्ला पुत्र श्याम सुन्दर
20-महेन्द्र गुलाटी पुत्र इन्द्रजीत

अपराध सं0-3842/2009

धारा-147,332,353,336,323,504,506 भा0 दं0 सं0
व धारा 7 क्रि० लॉ अमेण्टमेंट एक्ट व
धारा 6 संयुक्त प्रान्त विशेष शक्ति अधिनियम
थाना-कोतवाली कर्वी, चित्रकूट

निर्णय

अभियुक्तगण **रामकृपाल सिंह पटेल, सत्यनारायण पटेल, वीर सिंह पटेल,निर्भय सिंह उर्फ सन्तू सिंह, शक्ति प्रताप सिंह, भैयालाल यादव, राजबहादुर,गौरीशंकर, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश,हरीगोपाल उर्फ बबलू,नरेन्द्र गुप्ता,कमल मौर्य, मनोज सिंह,रामगोपाल केशरवानी, सुनील सिंह,मो० गुलाब खाँ, राजेन्द्र शुक्ला व महेन्द्र गुलाटी** के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 3842/2009 में अंतर्गत धारा

WWW.LIVELAW.IN

147,332,353,336,323,504,506 भा0 दं0 सं0 व धारा 7 क्रि० लॉ अमेण्टमेंट एक्ट व धारा 6 संयुक्त प्रान्त विशेष शक्ति अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया|

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.09.2009 को एस.एच.ओ. चन्द्रधर गौड मय हमराही कां. रतन सिंह, कां. मन्ना सिंह, सरकारी जीप सं०-UP96G-0072 से, चालक कृष्ण चन्द्र शुक्ला के साथ वहवाले रपट नं०-21 समय 09:20 बजे थाना हाजा से रवाना होकर शांति व्यवस्था डयूटी समाजवादी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन कस्बा कर्वी ट्रॉफिक चौराहा पर मौजूद मय जनपद के अतिरिक्त पुलिस बल के साथ था| जरिए आरटी सेट सुनील कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष पहाडी ने समय करीब 13:05 बजे दिन सूचना दिया कि श्री आर.के पटेल सांसद बांदा(चित्रकूट) अपने डेढ दो सौ स.पा. कार्यकर्ताओं के साथ शंकर बाजार रेवले फाटक पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिए है तथा कानपुर मानिकपुर पैसेन्जर ट्रेन को रोके हुए है| इस सूचना पर वह हमराही पुलिस बल मय मजिस्ट्रेट मौके पर पहुँचा तो देखा कि आर.के.सिह पटेल, वीर सिंह पटेल, सत्यनारायण पटेल, जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह गौतम, शक्ति प्रताप सिंह तोमर व डेढ दौ सो अन्य व्यक्ति जो ट्रेन रोकर जाम लगाये थे, उनको समझा-बुझाकर रेलवे ट्रैक खाली कराकर ट्रेन को आगे बढवाया गया तत्पश्चात जुलूस की शक्ल में आर.के. पटेल के नेतृत्व में धुतरहा तिराहे की ओर बढे कि इसी बीच तुलसी मार्केट बस स्टैण्ड स्थित स.पा. कार्यालय से भइयालाल यादव जिलाध्यक्ष, राजबहादुर सिंह पूर्व अध्यक्ष, गौरी शंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश पाण्डेय, हरिगोपाल उर्फ बब्लू, नरेन्द्र गुप्ता, पवन गेस्ट हाउस, कमल मौर्या, मनोज सिंह तथा अन्य ढाई-तीन सौ स.पा. कार्य कर्ताओं के साथ जुलूस की शक्ल में चलकर ट्राफिक चौराहे पर आकर राजमार्ग को जाम कर दिये जिससे लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी तथा आम जन मानस पर भारी आक्रोश व्याप्त हो गया| तत्काल वह मय हमराहियान के पहुँचा एवं वहां पर डयूटी पर मौजूद अधिकारी/कर्मचारीगण तथा मजिस्ट्रेट द्वारा समझा बुझाकर जाम हटवाया गया| भइयालाल यादव जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यह जुलूस धतुरहा तिराहे पर पहुँचा, जहां आर.के. सिंह पटेल के नेतृत्व में सरकार विरोधी व पुलिस, प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन शम्भू पेट्रोल पम्प होते हुए पटेल तिराहे पर पहुँच कर पहले से बने मंच पर सभा की शक्ल मे परिवर्तित होकर भाषण आदि का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया| सायं करीब 05:00 बजे राज्य पाल महोदय सो संबोधित ज्ञान ए.डी.एम.महोदय को दिये तथा पुनः आर.के. सिंह, पटेल, सांसद,

WWW.LIVELAW.IN

भइयालाल, रामगोपाल केशरवानी, मनोज सिंह, सुनील सिंह तथा डेढ दो-सौ कार्यकर्ताओं द्वारा पटेल तिराहे पर जाम लगाकर कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिनको काफी समझाने का प्रयास किया गया कि यह लोग काफी उत्तेजित व उग्र होकर पुलिस को गाली गुप्ता देते हुए ईंट पत्थर चलाकर मारने लगे कि का. सुरेश कुमार, कां. मन्ना सिंह, का. रतन सिंह, कां. शेखर शर्मा, कां. जमुना प्रसाद, कां. शिवलाल आदि कर्मचारी घायल हो गये। इसी बीच गुलाब खां तथा राजेन्द्र शुक्ला बस स्टैण्ड पर पहुँचकर प्रतीत्यात्मक पुतला दहन किये तथा महेन्द्र गुलाटी इन दोनों को तत्काल अपनी मोटर साईकिल से लेकर भाग गये।

वादी मुकदमा चन्द्र गौड़ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा संबंधित थाने पर अपराध सं०-3842/2009,धारा 147,332,353,336,323,504,506 भा०दं०सं०व धारा 7 क्रि० लॉ अमेण्टमेंट एक्ट व धारा 6 संयुक्त प्रान्त विशेष शक्ति अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना, विवेचक द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचना अधिकारी द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार किया एवं गवाहों के बयान अंकित किए गए। विवेचक द्वारा विवेचना की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत अभियुक्तगण **रामकृपाल सिंह पटेल, सत्यनारायण पटेल, वीर सिंह पटेल,निर्भय सिंह उर्फ सन्तू सिंह, शक्ति प्रताप सिंह, भैयालाल यादव, राजबहादुर,गौरीशंकर, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश,हरीगोपाल उर्फ बबलू,नरेन्द्र गुप्ता,कमल मौर्य, मनोज सिंह,रामगोपाल केशरवानी, सुनील सिंह,मो० गुलाब खाँ, राजेन्द्र शुक्ला व महेन्द्र गुलाटी** के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र अंतर्गत धारा 147,332,353,336,323,504,506 भा0 दं0 सं0,व धारा 7 क्रि० लॉ अमेण्टमेंट एक्ट व धारा 6 संयुक्त प्रान्त विशेष शक्ति अधिनियम में प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 08.11.2011 को न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के उपरांत अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये और अपनी जमानत कराई।

दौरान मुकदमा अभियुक्त **राजबहादुर पुत्र सुखराम यादव** की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही दिनांक **16.11.2022** को उपशमित की गयी है।

अभियुक्तगण **रामकृपाल सिंह पटेल, सत्यनारायण पटेल, वीर सिंह पटेल,निर्भय सिंह उर्फ सन्तू सिंह, शक्ति प्रताप सिंह, भैयालाल यादव, गौरीशंकर, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश,हरीगोपाल उर्फ बबलू,नरेन्द्र**

WWW.LIVELAW.IN

गुप्ता,कमल मौर्य, मनोज सिंह,रामगोपाल केशरवानी, सुनील सिंह, मो० गुलाब खाँ, राजेन्द्र शुक्ला व महेन्द्र गुलाटी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147,332,353,336, 323 सपठित धारा 149,504,506 भारतीय दंड संहिता व धारा 7 क्रि० लॉ अमेण्टमेंट एक्ट व धारा 6 संयुक्त प्रान्त विशेष शक्ति अधिनियम का आरोप दिनांक 04.03.2020 को आरोप विरचित किया गया| अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की|

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्र आरोप पत्र, चिक एफ.आई.आर.,चिकित्सीय प्रपत्रों व स्टेशन प्रबंधक के पत्र दिनांकित 27.09.09 की औपचारिकता को स्वीकार किया है, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क 7 लगायत प्रदर्श क 15 डाला गया|

अभियोजन की ओर से उपरोक्त आरोपों को साबित करने के लिए पी०डब्ल्यू०-1 सेवानिवृत्त उपाधीक्षक चन्द्रधर गौड, पी०डब्ल्यू०-2 से.नि.एस.आई. शिवदयाल, पी०डब्ल्यू०-3 से. नि. एस.आई./निरीक्षक बृजभूषण, पी०डब्ल्यू०-4 हेड कां. शिवलाल व पी०डब्ल्यू०-5 हेड कां. युमना प्रसाद मिश्रा व पी०डब्ल्यू०-6 हेड कां. सुरेश कुमार के रूप में परीक्षित कराया गया है| अभियोजन को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 11.11.2022 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया|

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता दिनांक 15.11.2022 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताया, गवाह द्वारा दिये गये बयान को गलत बयाया, मुकदमा झूठा चलना व सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया|

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस को सुना और पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया|

पी०डब्ल्यू०-1 चंद्रधर गौढ जो प्रस्तुत प्रकरण में मुकदमा वादी है , ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पर बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि दिनांक 16.09.09 को मैं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी में तैनात था| उस दिन मैं हमराही कर्मचारीगण रतन सिंह, मुन्ना सिंह व जीप सरकारी चालक कृष्ण चंद्र शुक्ला को थाने से रपट नंबर 21 समय 9:21 बजे वास्ते शांति व्यवस्था ड्यूटी समाजवादी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन में रवाना होकर ट्रैफिक चौराहे पर मौजूद जनपद के अतिरिक्त पुलिस बल के साथ था| जरिए आर.टी. सेट श्री सुनील कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष पहाड़ी ने

WWW.LIVELAW.IN

समय करीब 13:05 बजे सूचना दी कि श्री आर. के. पटेल सांसद बांदा द्वारा अपने 150 - 200 साथियों के साथ शंकर बाजार रेलवे फाटक पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है| मानिकपुर-कानपुर ट्रेन को रोके हुए है| उस सूचना पर मैं हमराहीगण, मजिस्ट्रेट के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि वीर सिंह पटेल, सत्यनारायण पटेल, निर्भय सिंह ,शक्ति प्रताप सिंह तोमर, तथा 150 - 200 अन्य व्यक्ति ट्रेन को रोककर जाम कर दिए थे| उनको समझा-बुझाकर रेलवे ट्रैक को खाली कराया और रेलवे ट्रेन को आगे बढ़ाया, तत्पश्चात जुलूस की शक्ल में आर. के. पटेल के नेतृत्व में धतूरहा चौराहा की ओर बढे, उसी बीच तुलसी मार्केट सपा कार्यालय से भैया लाल यादव,राजबहादुर, गौरी शंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश पांडे, हरि गोपाल उर्फ बबलू, नरेंद्र गुप्ता, कमल मौर्य व मनोज सिंह तथा अन्य 250-300 लोग सपा कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में आकर राजमार्ग को जाम कर दिया| उससे लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई तथा जन-मानस में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया, तुरंत मैं हमराहीयान के साथ मौके पर पहुंचकर समझा-बुझाकर जाम हटवाया| भैया लाल यादव के नेतृत्व में यह जुलूस धतूरहा चौराहे पर पहुंचा| वहां से जुलूस का नेतृत्व श्री आर. के. पटेल करने लगे, उसी जुलूस में सम्मिलित हो गया| भैया लाल के नेतृत्व में सरकार विरोधी, पुलिस व प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन, शम्भू पेट्रोल पंप होते हुए पटेल तिराहे पर पहुंचे| वहां पहले से ही कार्यक्रम चल रहा था| वहां शांय 5:00 बजे राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन ए.डी.एम. महोदय को ज्ञापन दिया| उसके बाद पुनः आर. के. पटेल सांसद, भैयालाल, रामगोपाल केसरवानी, मनोज सिंह, सुनील सिंह तथा 150-200 कार्यकर्ताओं द्वारा पटेल तिराहे पर जाम लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, जिन्हें काफी समझाया बुझाया गया, परन्तु यह लोग काफी उत्तेजित हो गए| पुलिस को गाली गुप्ता देते हुए ईट पत्थर मारने लगे जिससे कांस्टेबल सुरेश कुमार, कांस्टेबल मन्ना सिंह, कांस्टेबल रतन सिंह, कांस्टेबल शेखर शर्मा, कांस्टेबल जमुना प्रसाद, कांस्टेबल शिवलाल आदि कर्मचारी घायल हो गए| इसी बीच गुलाब खां, राजेंद्र शुक्ला द्वारा बस स्टैंड पर पहुंचकर प्रतीकात्मक पुतला दहन किया,महेंद्र गुलाटी इन दोनों को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर भाग गए| पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 4 क 1 लगायत 4 क 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट (चिक एफ.आई.आर.) को मेरे द्वारा बोल - बोल कर लिखाया गया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर है| मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया|

WWW.LIVELAW.IN

पी०डब्ल्यू०-2 शिवदयाल चिक एफ.आई.आर. लेखक ने अपनी मुख्य परीक्षा में जी.डी. की मूल प्रति की कार्बन कॉपी को प्रमाणित किया है, जिस पर प्रदर्श क- 2 डाला गया|

पी०डब्ल्यू०-3 बृजभूषण दुबे विवेचक अपनी मुख्य परीक्षा बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि तत्कालीन सांसद आर. के. पटेल व उनके संगठन के सदस्यों द्वारा नगर कर्वी में धरना प्रदर्शन शासन के विरुद्ध प्रस्तावित था, जिसमें अंतिम तिथि 16.09.2009 थी| धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी| जिस पर आर. के. पटेल तत्कालीन सांसद समाजवादी पार्टी कार्यालय से संगठन के सदस्यों के साथ जुलूस के साथ ट्रैफिक चौराहे पर जाम लगाया गया| वहां पर मौजूद पुलिस बल के हस्तक्षेप पर उक्त लोग धतूरहा तिराहा होते हुए रेलवे फाटक पर शंकर बाजार पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए जिसके कारण कानपुर-मानिकपुर ट्रेन का आवागमन प्रभावित हुआ| वहां भी पुलिस के हस्तक्षेप पर शासन विरोधी नारे लगाते हुए पुनः धतुरहा तिराहे होते हुए, संभू पेट्रोल पंप होते हुए पटेल तिराहा पर पूरा जुलूस करीब 400-500 लोग इकट्ठा होकर धरने पर बैठकर भाषण देने लगे| इसी बीच पता चला कि बस स्टैंड पर तत्कालीन मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन गुलाब खां, गुलाटी व राजेंद्र शुक्ला द्वारा किया जा रहा है| जहां पुलिस बल पहुंचा, तो वह लोग भाग गए| धरना प्रदर्शन स्थल पटेल तिराह पर प्रदर्शन के दौरान ही रोड इलाहाबाद-बांदा जाम करने पर पुलिस बल द्वारा खाली कराए जाने के दौरान प्रदर्शनकारी तत्कालीन सांसद आर.के. पटेल के नेतृत्व में और उग्र होकर पुलिस बल को गाली गलौज करते हुए ईट पत्थर चलाने लगे जिससे ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों को चोटे आई तथा पुलिस की गाड़ी छतिग्रस्त हो गई, तब निरोधात्मक कार्यवाही के रूप में अंतर्गत धारा 151,107,116 तत्कालीन एस.एच.ओ. श्री जी.डी. गौढ व हमराहीयों द्वारा 123 लोगों को हिरासत में लिया गया| तत्कालीन सांसद आर. के. पटेल सहित 20 अभियुक्त लोगों के विरुद्ध नामजद व लगभग 150 लोगों के विरुद्ध अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के आदेश की प्रति मुझे प्राप्त हुई| उक्त आदेश से मैंने विवेचना प्रारंभ की| वादी की निशानदेही पर घटना-स्थल का निरीक्षण किया व नक्शा नजरी बनाया, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूं| जिस पर क्रमशः प्रदर्श क 3 प्रदर्श क 4 प्रदर्श क 5 प्रदर्श क 6 डाला गया| स्टेशन प्रबंधक चित्रकूट धाम कर्वी लाल सिंह का बयान अंकित किया तथा स्टेशन मास्टर की डायरी का अवलोकन अंकित किया, जो कागज संख्या 10 क संलग्न पत्रावली है|

WWW.LIVELAW.IN

तत्पश्चात मेरा स्थानांतरण हो गया और उक्त अभियोग की विवेचना तत्कालीन एस.ओ. मानिकपुर को प्राप्त हो गई।

पी०डब्ल्यू०-4 हेड कांस्टेबल शिव लाल यादव अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 16.09.2009 को मैं आरक्षी के पद पर थाना कर्वी कोतवाली जनपद चित्रकूट में तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी एस.आई. अशोक धर पांडे के हमराह के रूप में ट्रैफिक चौराहे पर थी, साथ में एक सेक्शन पीएसी बल भी तैनात थी। उस दिन सपा पार्टी द्वारा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। लोक व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। ट्रैफिक चौराहे पर आर. के. पटेल, वीर सिंह पटेल, शक्ति सिंह, निर्भय सिंह, भैया लाल यादव, राजबहादुर आदि बहुत से लोग नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिए। थोड़ी देर बाद सभी लोग सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पटेल तिराहे पर आए और नारेबाजी करने लगे और हम लोग सभी पुलिस बल उच्चाधिकारी के निर्देश पर पटेल तिराहा पहुंचे। वहां पर आर.के. सिंह पटेल, वीर सिंह पटेल उपरोक्त सभी मुल्जिमान नारेबाजी करने लगे और धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन पर पथराव करते हुए नारेबाजी करने लगे। पथराव में मुझे व कई सिपाहियों को चोटे आई। अभियुक्तगण के इस कृत्य से लोग व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया गया।

पी०डब्ल्यू०-5 हेड कांस्टेबल यमुना ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.09.2009 मैं बतौर आरक्षी कोतवाली कर्वी चित्रकूट में तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी चीता मोबाइल वाहन पर कांस्टेबल कमलेश कुमार के साथ प्रातः 8:00 बजे, शाम 8:00 बजे तक कर्वी नगर क्षेत्र लोक व्यवस्था व शांति व्यवस्था के लिए भ्रमण के लिए लगाई गई थी। भ्रमण करते हुए पटेल तिराहे पहुंचा समय करीब शाम 5:00 का समय था। पटेल तिराहे पर आर. के. पटेल, भैया लाल यादव, वीर सिंह पटेल, शक्ति सिंह, सत्यनारायण पटेल और नरेंद्र गुप्ता व सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर रोड जाम कर के धरने पर बैठे थे और पुलिस प्रशासन नारेबाजी करने लगे व पुलिस पर पथराव करने लगे। जिससे मुझे व कई सिपाहियों को चोटे आई। मेरी चोटों का डॉक्टरी मुआयना जिला अस्पताल कर्वी में किया गया। अभियुक्तगण के पथराव करने से लोग व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई।

पी०डब्ल्यू०-6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.09.2009 को मैं आरक्षी पद पर अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कार्यालय में तैनात था। उस दिन सपा पार्टी के धरना प्रदर्शन में मेरी ड्यूटी पटेल चौराहा कर्वी चित्रकूट में

WWW.LIVELAW.IN

ड्यूटी थी। सपा कार्यालय से एक जुलूस सपा नेता व सांसद के नेतृत्व में एक जुलूस पटेल चौराहे पर आया वहां पर सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी कर रहे थे। मना करने पर पथराव किया जिसमें मुझे चोटे आई। मेरा डॉक्टरी हुआ था। उक्त पथराव में मेरे साथ कई अन्य सिपाही भी घायल हुए।

पी०डब्ल्यू०-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जरिए आर.टी. सेट श्री सुनील कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष पहाड़ी ने समय करीब 13:05 बजे सूचना दी कि श्री आर. के. पटेल सांसद बांदा द्वारा अपने 150 - 200 साथियों के साथ शंकर बाजार रेलवे फाटक पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। मानिकपुर-कानपुर ट्रेन को रोके हुए है। उस सूचना पर मैं हमराहीगण , मजिस्ट्रेट के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि वीर सिंह पटेल, सत्यनारायण पटेल, निर्भय सिंह गौतम, शक्ति प्रताप सिंह तोमर, तथा 150 - 200 अन्य व्यक्ति ट्रेन को रोककर जाम कर दिए थे। उनको समझा-बुझाकर रेलवे ट्रैक को खाली कराया।

पी०डब्ल्यू०-1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जुलूस आर.के. पटेल के घर से प्रारम्भ होकर रेलवे फाटक पर आकर रेलवे क्रासिंग को जाम किया। रेवले फाटक पर ये लोग 01:05 बजे आये थे। मैं जुलूस के समय रेलवे फाटक पर मौजूद नहीं था। वहां पर एस.ओ. पहाडी मौजूद थे जिन्होंने मुझे सूचना दी थी कि आर.के. पटेल व उनके साथिया ने रेलवे ट्रैक को जाम किया है, जब मैं मौके पर पहुँचा तब उस स्थान पर 150-200 की संख्या जुलूस की थी। उस समय रेलवे फाटक खुला था या बन्द था, नहीं बता सकता, फिर कहा बन्द ही रहा होगा, क्योंकि पैसेन्ज्र ट्रेन को रोक रखा था। मैंने उस ट्रेन का उल्लेख किया है वह मानिकपुर पैसेन्जर ट्रेन थी। ट्रेन पैसेन्जर को रेलवे फाटक पर ही रोके रखा गया था। यह ट्रेन सिग्नल के अन्दर खडी थी। आगे प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि रेलवे ट्रेन को 150-200 लोगों ने जाम कर रखा था जिस समय मैं पहुँचा, उस समय आर.पी.एफ. फोर्स या रेलवे पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी। मैंने इस जाम की सूचना रेलवे पुलिस व आर.पी.एफ. को नहीं दिया था। मैं जब मौके पर पहुँचा तो 10-15 मिनट तक जुलूस के लोगों को समझाकर रेलवे ट्रैक को खाली करा दिया था।

पी०डब्ल्यू०-3 विवेचक बृजभूषण ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आर. के. पटेल तत्कालीन सांसद समाजवादी पार्टी कार्यालय से संगठन के सदस्यों के साथ जुलूस के साथ ट्रैफिक चौराहे पर जाम लगाया गया। वहां पर मौजूद पुलिस बल के हस्तक्षेप पर उक्त लोग धतूरहा तिराहा होते हुए रेलवे फाटक पर शंकर बाजार पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए जिसके कारण कानपुर-मानिकपुर ट्रेन का आवागमन प्रभावित हुआ। वहां

WWW.LIVELAW.IN

भी पुलिस के हस्तक्षेप पर शासन विरोधी नारे लगाते हुए पुनः धतुरहा तिराहे होते हुए, संभू पेट्रोल पंप होते हुए पटेल तिराहा पर पूरा जुलूस करीब 400-500 लोग इकट्ठा होकर धरने पर बैठकर भाषण देने लगे। स्टेशन मास्टर की डायरी का अवलोकन किया जो कागज सं०-10 क संलग्न पत्रावली है।

पी०डब्ल्यू०-3 विवेचक बृजभूषण ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है नक्शा नजरी प्रदर्श क-1 रेलवे फाटक पर सपा द्वारा रेलवे ट्रैक पर बैठना अंकित है। किसी अभियुक्तगण का नाम अंकित नहीं है। रेलवे फाटक पर हुए घटना क्रम के संबंध में उक्त साक्षी से अन्य प्रतिपरीक्षी नहीं की गई है।

धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद आ.के. पटेल के नेतृत्व में हो रहा था। प्रदर्श क-1 में रेलवे फाटक पर सपा द्वारा रेवले ट्रैक पर बैठना अंकित होना समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद आर.के. पटेल व उनके अन्य सहयोगियों को ही इंगित करता है।

चश्मदीद साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 मुकदमा वादी तथा पी०डब्ल्यू०-3 विवेचक की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा से स्पष्ट है कि आर.के पटेल तत्कालीन सांसद बांदा, वीर सिंह पटेल, सत्यनरायण पटेल, निर्भय सिंह, शक्ति प्रताप सिंह तोमर व अन्य 150-200 व्यक्तियों द्वारा रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ट्रैक को जाम किया गया जिससे पैसेन्जर ट्रेन का आवागमन वाधित रहा। पुलिस बल द्वारा समझा-बुझाकर उक्त जुलूस को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। पत्रावली में दाखिल प्रपत्र 10 क प्रदर्श क-15 की औपचारिकता को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी या रेलवे का साक्षी नहीं है। सभी साक्षीगण पुलिस के है जिससे घटना का घटित होना संदिग्ध हो जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में जुलूस का नेतृत्व तत्कालीन सांसद बांदा आर.के पटेल के द्वारा किया जा रहा था। सामान्यत राजनेता के विरुद्ध गवाही देने से आम जनता का व्यक्ति तैयार नहीं होता है, जब तक उसका व्यक्तिगत हित प्रभावित न हो। ऐसी परिस्थिति में जनता का स्वतंत्र गवाह मिलना दुष्कर है।

पी०डब्ल्यू०-3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना स्थल पर मुझ जनता का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं मिला। शंकर बाजार रेलवे फाटक को गार्ड का बयान मैंने अंकित नहीं किया है। वादी मुकदमा द्वारा स्वयं घटना को देखा है। रेलवे ट्रैक को जाम करना तथा ट्रेन रोकने की घटना के संबंध में वादी मुकदमा पी०डब्ल्यू०-1 की मुख्य परीक्षा

WWW.LIVELAW.IN

व प्रतिपरीक्षा के बयानों में कोई भिन्नता नहीं है| अतः अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क बलहीन हो जाता है|

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ट्रेन रोके जाने, रेलवे ट्रैक के जाम किये जाने के संबंध में रेलवे के कर्मचारीगण अथवा रेलवे पुलिस द्वारा कोई एफ.आई.आर. पंजीकृत नहीं करायी गई जिससे रेलवे ट्रैक को जाम करना व ट्रैन रोकना साबित नहीं होता है| प्रपत्र सं०-10 क प्रदर्श क-15 की औपचारिकता अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया है| वादी मुकदमा को एस.ओ. थाना पहाडी ने जरिए आर.टी सेट रेलवे ट्रैक को जाम करने व ट्रैन को रोके जाने की सूचना दी| वादी मुकदमा ने उक्त अभियुक्तगण द्वारा रेलवे ट्रैक को जाम करना व ट्रेन को रोका जाना, वहाँ पहुँचकर स्वयं देखा है| एस.ओ. थाना पहाडी व वादी मुकदमा की डयूटी शांति व्यवस्था में बनाये रखने में लगाई गई थी, जो कि प्रपत्र सं०-8 क/1 से 8 क/3 से स्पष्ट है| रेलवे ट्रैक को जहां जाम किया गया और जहां ट्रैन रोकी गई| वह क्षेत्र जिस थाना कोतवाली के अन्तर्गत आता है| वहां एफ.आई.आर. वादी मुकदमा द्वारा पंजीकृत करायी गई| इस प्रकार अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क बलहीन है|

पी०डब्ल्यू०-1 नें मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जुलूस की शक्ल में आर. के. पटेल के नेतृत्व में धतूरहा चौराहा की ओर बढे, उसी बीच तुलसी मार्केट सपा कार्यालय से भैया लाल यादव, राजबहादुर, गौरी शंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश पांडे, हरि गोपाल उर्फ बबलू, नरेंद्र गुप्ता, कमल मौर्य व मनोज सिंह तथा अन्य 250-300 लोग सपा कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में आकर राजमार्ग को जाम कर दिया| उससे लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई तथा जनमानस में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया, तुरंत मैं हमराहीयान के साथ मौके पर पहुंचकर समझा-बुझाकर जाम हटवाया| भैया लाल यादव के नेतृत्व में यह जुलूस धतूरहा चौराहे पर पहुंचा| वहां से जुलूस का नेतृत्व श्री आर के. पटेल करने लगे, उसी जुलूस में सम्मिलित हो गया| भैया लाल के नेतृत्व में सरकार विरोधी, पुलिस व प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन, शम्भू पेट्रोल पंप होते हुए पटेल तिराहे पर पहुंचे| वहां पहले से ही कार्यक्रम चल रहा था| वहां शांय 5:00 बजे राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन ए.डी.एम. महोदय को ज्ञापन दिया| उसके बाद पुनः आर. के. पटेल सांसद, भैयालाल, रामगोपाल केसरवानी, मनोज सिंह, सुनील सिंह तथा 150-200 कार्यकर्ताओं द्वारा पटेल तिराहे पर जाम लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, जिन्हें काफी समझाया बुझाया गया, परन्तु यह लोग काफी उत्तेजित हो गए| पुलिस को गाली गुप्ता देते

WWW.LIVELAW.IN

हुए ईट पत्थर मारने लगे। पी०डब्ल्यू०-1 के उक्त कथन का समर्थन पी०डब्ल्यू०-3,पी०डब्ल्यू०-4,पी०डब्ल्यू०-5 व पी०डब्ल्यू०-6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में समर्थन किया है।

पी०डब्ल्यू०-1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ए.डी.एम. साहब को ज्ञापन देने तक उक्त जुलूस के द्वारा मेरे पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई वाधा नहीं पहुँचाई गई। पी०डब्ल्यू०-1 के उक्त कथन से स्पष्ट है कि ए.डी.एम. साहब को ज्ञापन देने तक आर.के. पटेल के नेतृत्व में जुलूस ने कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गयी है।

पी०डब्ल्यू०-1 ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि 200-250 लोगों ने लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया था। रास्त बंद कर देने से जाते लोगों का आना-जाना प्रभावित हुआ। सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हुआ जिससे लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हुई। भीड़ में जो लोग उपद्रव कर रहे थे और मैं जिनको पहचानता था, उनका नाम एफ.आई.आर. में दर्ज कराया था।

इस प्रकार पी०डब्ल्यू०-1 के बयानों से ए.डी.एम. को ज्ञापन देने के उपरांत पटेल तिराहा पर जुलूस के द्वारा जाम लगाकर रास्ते पर आने-जाने वाले लोगों का आवागमन प्रभावित किया जिससे लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होना स्पष्ट होता है।

पी०डब्ल्यू०-3 विवेचक ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि धरना प्रदर्श स्थल पटेल तिराहा पर प्रदर्शन के दौरान ही इलाहाबाद-बांदा रोड जाम करने पर पुलिस बल द्वारा खाली कराने के दौरान प्रदर्शनकारी तत्कालीन सांसद आर.के. पटेल के नेतृत्व में उग्र होकर पुलिस बल को गाली गलौज करते हुए ईंट पत्थर चलाने लगा। आर.के. पटेल के नेतृत्व में जुलूस द्वारा गाली गलौज ईंट-पत्थर चलाने के संबंध में पी०डब्ल्यू०-3 से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई जिससे उक्त कथन की सत्यता स्वयं स्पष्ट होती है।

पी०डब्ल्यू०-4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन सरकार की गलत नितियों के विरोध में था। अभियुक्तगण की मुझसे व पुलिस बल से कोई रंजिश नहीं थी। किसी भी अभियुक्तगण ने मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दिया था। मुझे किसके द्वारा चोट पहुँचाई गई, मैं नहीं बता सकता। मेरे साथ किस व्यक्ति ने मारपीट की है, मैं देख नहीं पाया। इसलिए उसका नाम नहीं बता सकता। घटना के दिनांक मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से अभियुक्तगण ने रोका नहीं था।

पी०डब्ल्यू०-5 यमुना प्रसाद ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मेरे शरीर पर आई चोटों को किस अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है, मैं उसका नाम नहीं बता

WWW.LIVELAW.IN

सकता, क्योंकि भीड़ में चोट कारित करने वालों को मैं देख नहीं पाया| घटना के दिनांक मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था| अभियुक्तगण ने मुझे कर्तव्यों के निष्पादन करने से रोका नहीं था| किस अभियुक्तगण ने मेरे साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी, मैं नहीं बता सकता|

पी०डब्ल्यू०-6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि भीड से पथराव हो रहा था, उसे चोट किसके द्वारा कारित की गयी थी, उसे नाम नहीं पता है| भीड-भाड़ चौराहे के पास बनी रहती है| जनता का आवागमन भी बना था| हम लोगों को भीड की तरफ से गाली की आवाज आ रही थी| किस व्यक्ति की आवाज थी, मैं नहीं बता सकता| किस व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी, मैं उसका भी नाम नहीं बता सकता|

इस प्रकार पी.डब्ल्यू.-3,पी.डब्ल्यू.-4 व पी.डब्ल्यू.-5 से पटेल तिराहे पर आर.के. पटेल के नेतृत्व में जुलूस द्वारा धरना प्रदर्शन कर लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न किये जाने के संबंध में प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है जिससे पी.डब्ल्यू.-3,पी.डब्ल्यू.-4 व पी.डब्ल्यू.-5 के मुख्य परीक्षा के कथन कि आर.के. पटेल के नेतृत्व में पटेल तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न कर दी गयी, विश्वसनियता की परिधि में आते है|

पी.डब्ल्यू.-4,पी.डब्ल्यू.-5 व पी.डब्ल्यू.-6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि किस अभियुक्तगण के द्वारा पत्थर फेकने से चोट आई, उन्हें पता नहीं है, न ही ये पता है कि किसने गाली गलौज की है, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में किसी अभियोजन साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन नहीं किया है| इस प्रकार जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज किसके द्वारा किया गया है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है|

अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के बयानों से स्पष्ट होता है कि आर.के. पटेल के नेतृत्व में जुलूस द्वारा पटेल तिराहे पर ए.डी.एम. को ज्ञापन दिए जाने के उपरान्त उग्र होकर मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया गया जिससे आने-जाने वाले लोगं का आवागमन बाधित हुआ और लोक व्यवस्था व शांति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई| उक्त जुलूस के सदस्यों द्वारा उग्र होकर पत्थर चलाये गये जिससे पुलिस बल के सदस्यों को चोटे आयी|

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्षीगण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण ने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन से नहीं रोका, से स्पष्ट है कि लोक व्यवस्था बनी रही| अभियोजन साक्षीगण पी०डब्ल्यू०-4 व पी०डब्ल्यू०-5 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण ने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न नहीं की | धरना प्रदर्शन कर जुलूस के लोक व्यवस्था द्वारा छिन्न-भिन्न की गई है| उस जुलूस में

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्तगण समाहित थे। पी.डब्ल्यू.-1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ए.डी.एम. को ज्ञापन दिये जाने तक जुलूस द्वारा मेरे पदीय कर्तव्यों में कोई बाधा नहीं पहुँचाई गई। जुलूस ने ए.डी.एम. को ज्ञापन देने के उपरान्त पटेल तिराहा पर उग्र होकर धरना प्रदर्शन किया है। उसके पश्चात ही लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हुई। लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न सम्पूर्ण जुलूस के द्वारा की गई है जिसमें अभियुक्तगण भी समाहित थे। धारा 142 भा.दं.सं. के प्रावधनों के अनुसार जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते है, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है।

अभियुक्तगण जुलूस के सदस्य थे। जुलूस के द्वारा रेलवे ट्रक को जाम किया गया, ट्रेन को रोका और रास्ते पर उग्र होकर धरना प्रदर्शन किया जिससे लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। उक्त समस्त आधारों पर जुलूस विधि विरुद्ध जमाव होना स्पष्ट है। विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य समान रूप से उत्तरदायी होता है। अभियुक्तगण विधि विरुद्ध जमाव जुलूस के सदस्य है। इसलिए अभियुक्तगण, जुलूस जो विधि विरुद्ध जमाव है, के द्वारा किये गये प्रत्येक कृत्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। इस प्रकार अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क बलहीन है।

धारा 323 भा.दं.सं. का आरोप सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के साथ विरचित किया गया है। अभियुक्तगण ने अपने साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पटेल तिराहे पर आर.के. पटेल के नेतृत्व में बहुत से लोग उग्र होकर रास्ता जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन पर पथराव करने लगे जिससे पुलिस बल के सदस्यों को चोटें आयी। पत्रावली में सी.पी. सुरेश कुमार, सी.पी. शेखर शर्मा, सी.पी. मान सिंह, सी.पी. रतन सिंह, सी.पी. शिवलाल व सी.पी. यमुना प्रसाद की चिकित्सीय आख्या दाखिल है जिनकी औपचारिकता को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है जिन पर क्रमशः प्रदर्श क-9 लगायत प्रदर्श क-14 डाला गया है। उक्त चिकित्सीय आख्याओं में मात्र मन्ना सिंह की चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क-11 में कोई चोट उल्लिखित नहीं है, अन्य समस्त चिकित्सीय आख्याओं में चोटे पाये जाने का उल्लेख है।

पी०डब्ल्यू०-4,पी०डब्ल्यू०-5,व पी०डब्ल्यू०-6 जो चोटहिल साक्षीगण है, उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसे किसके द्वारा चोट कारित की गई है, मैं नहीं पता सकता, क्योंकि चोट कारित करने वाले को मैं देख नहीं पाया था। उक्त साक्षीगण पी०डब्ल्यू०-4,पी०डब्ल्यू०-5,व पी०डब्ल्यू०-6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन

WWW.LIVELAW.IN

किया है कि आर.के. पटेल के नेतृत्व में सैकड़ो कार्यकर्ता पटेल तिराहे पर पथराव करने लगे जिससे उन्हें चोटे आयी। पी०डब्ल्यू०-1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पत्थरवाजी ट्रैफिक तिराहे पर नहीं पटेल, तिराहे पर हुई थी। किस-किस अभियुक्त के हाथ में पत्थर था, मुझे याद नहीं, जो भीड़ प्रदर्शन कर रही थी, उसी भीड़ से पत्थर चलकर आ रहा था।

इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्यों से स्पष्ट है कि आर.के. पटेल के नेतृत्व में जुलूस ने पटेल तिराहे पर उग्र होकर पत्थरवाजी की जिससे पुलिस बल के सदस्यों को चोटें आयी है। जुलूस जोकि विधि विरूद्ध जमाव था, उसके किसी भी सदस्य द्वारा पत्थरवाजी की गई हो, परन्तु उत्तरदायी विधि विरूद्ध जमाव के सभी सदस्य होते है। अभियुक्तगण वीर सिंह पटेल, निर्भय सिंह, शक्ति प्रताप सिंह तोमर, सत्यनारायण पटेल, रेलवे लाइन की ओर से तथा अभियुक्तगण भैयालाल यादव, राजबहादुर, गौरी शंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश पाण्डेय, हरिगोपाल उर्फ बबलू, नरेन्द्र गुप्ता, कमल मौर्या व मनोज सिंह सपा कार्यालय से आकर धतूरहा चौराहे पर मिले। उक्त समस्त अभियुक्तगण ने पटेल तिराहे पर पहुंच कर अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उग्र रूप लेकर पथराव किया जिससे पुलिस बल के सदस्यों को चोटे आयी।

पी०डब्ल्यू०-1 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि..इसी बीच गुलाब खां, राजेन्द्र शुक्ला द्वारा बस स्टैण्ड पहुँचकर प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। महेन्द्र गुलाटी इन दोनों को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर भाग गये। उक्त तथ्य के संबंध में पी.डब्ल्यू.-1 की प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। अतः उक्त तथ्य विश्वसनीय है।

पी०डब्ल्यू०-3 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इसी बीच पता चला कि बस स्टैण्ड पर तत्कालीन मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन, गुलाब खा, गुलाटी व राजेन्द्र शुक्ला द्वारा किया जा रहा है। उक्त तथ्य के संबंध में पी.डब्ल्यू०-3 की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। अतः उक्त तथ्य विश्वास किये जाने योग्य है।

पी०डब्ल्यू०-1 व पी०डब्ल्यू०-3 के उक्त कथनों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण गुलाब खां, महेन्द्र गुलाटी तथा राजेन्द्र शुक्ला के द्वारा बस स्टैण्ड पर तत्कालीन मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूंका।

पी०डब्ल्यू०-1 व पी०डब्ल्यू०-3 के मुख्य परीक्षा के कथन से स्पष्ट है कि जब पटेल तिराहा पर जुलूस द्वारा उग्र धरना प्रदर्शन कर लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न की जा रही थी, उसी समय अभियुक्तगण गुलाब खां, महेन्द्र, गुलाटी तथा राजेन्द्र शुक्ला बस स्टैण्ड पर पुतला जला रहे थे। इस प्रकार जुलूस द्वारा पटेल तिराहा पर जब उग्र होकर धरना प्रदर्शन

WWW.LIVELAW.IN

कर लोक-व्यवस्था छिन्न-भिन्न की जा रही थी। जिस समय समय बस स्टैण्ड पर पुतलात जालाया जा रहा था, उस समय बस स्टैण्ड पर किसी प्रकार के जमाव व उग्र धरना प्रदर्शन किए जाने का कथन अभियोजन साक्षीगण ने अपने बयानों में नहीं किया है। इस प्रकार अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला, गुलाब खां व महेन्द्र गुलाटी बस स्टैण्ड पर होने के कारण जुलूस के सदस्य नहीं थे।

अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०-6 ने पटेल चौराहा का कथन किया है। अन्य साक्षीगण ने पटेल तिराहा होने का कथन किया। पी०डब्ल्यू०-6 के उक्त पटेल चौराहा कथन से अभियोजन कथानक पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

दिनांक 04.03.2020 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा धारा 323 भा.दं.सं. का आरोप धारा 149 भा.दं.सं. के साथ विरचित किया गया है। अन्य धारा 332,353,336,504,506 भा.दं.सं. का आरोप अभियुक्तगण पर व्यक्तिगत क्षमता में किये गये कृत्यों के संबंध में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा विरचित किया गया है।

पी०डब्ल्यू०-4,पी०डब्ल्यू०-5 व पी०डब्ल्यू०-6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि किस अभियुक्त द्वारा चोट पहुचाई गई है, किस अभियुक्त द्वारा गाली गलौज किया गया है, किस के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी है, वह नहीं बता सकते है। अभियुक्तगण द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन करने से नहीं रोका गया है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किये गये कृत्यों से साक्षीगण पी०डब्ल्यू०-4,पी०डब्ल्यू०-5,व पी०डब्ल्यू०-6 ने इंकार किया है जिस कारण से अभियुक्तगण के विरूद्ध व्यक्तिगत क्षमता में किये गये कृत्यों में विरचित आरोप के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

निर्णयज विधि व्यवस्था ***"म०प्र० राज्य बनान दयाल साहू अपील(क्रिमीनल) नं०-8/1998 सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिनांकित 20.09.2005"*** में माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है कि न्यायालय द्वारा चिकित्सीय साक्षी को परीक्षित न कराये जाने मात्र से अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए, जबकि अभियोजन के अन्य साक्षी विश्सनीय है।

निर्णयज विधि व्यवस्था ***"राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य 2003(47)ACC 1068(SC)"*** में माननीय न्यायालय ने अवधारित किया कि विवेचक को परीक्षित न कराना अभियोजन के केस को दाग नहीं लगता है, यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अभियोजन कथानक साबित किया है।

WWW.LIVELAW.IN

पी०डब्ल्यू०-1 जो सम्पूर्ण घटना क्रम का चक्षुदर्शी साक्षी है तथा पी०डब्ल्यू०-4,पी०डब्ल्यू०-5,व पी०डब्ल्यू०-6 जो पटेल तिराहे पर हुई घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण है| उन्होंने अपने साक्ष्यों से अभियोजन कथानक का समर्थन किया है|

उपयुक्त समग्र विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि धरना प्रदर्शन करके ट्रेन को रोके जाने, ट्रेन ट्रैक को जाम करने, रास्ते पर आवागमन बाधित करने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के कर्तव्यों के निष्पादन में लगाए गए पुलिस बल पर पथराव करने व शांति व्यवस्था व लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के कारण उक्त जुलूस विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में आ गया| अभियुक्तगण वीर सिंह पटेल, निर्भय सिंह, शक्ति प्रताप सिंह तोमर तथा सत्य नारायण पटेल ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे ट्रैक को जाम किया तथा मानिकपुर पैसेंजर ट्रेन को रोका जिससे ट्रेन का आवागमन बाधित हुआ| उक्त समस्त अभियुक्तगण तथा कार्यकर्ता अन्य अभियुक्तगण भैया लाल यादव, सुनील सिंह, गौरी शंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, विनय प्रकाश पांडे, हरि गोपाल उर्फ बबलू, नरेंद्र गुप्ता, कमल मौर्या तथा मनोज सिंह सपा कार्यालय से आकर धतूरहा चौराहे पर मिले| उक्त समस्त अभियुक्तगण के साथ रामगोपाल केशरवानी ने आर. के. पटेल के नेतृत्व में पटेल तिराहे पर पहुंचकर अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते पर धरना प्रदर्शन किया जिससे आवागमन बाधित हुआ और उग्र रूप लेते हुए पुलिस बल पर पथराव किया, जिससे पुलिस बल के सदस्यों को चोटे आई और लोग व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई|

इस प्रकार अभियोजन अपने कथानक को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है| अभियुक्तगण रामकृपाल सिंह पटेल, वीर सिंह पटेल, निर्भय सिंह, शक्ति प्रताप सिंह तोमर, सत्य नारायण पटेल, भैया लाल यादव, सुनील सिंह, गौरी शंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, रामगोपाल केसरवानी, विनय प्रकाश पांडे, हरि गोपाल उर्फ बबलू, नरेंद्र गुप्ता, कमल मौर्या तथा मनोज सिंह आरोप अंतर्गत धारा 147 तथा 323/149 भारतीय दंड संहिता तथा आरोप अंतर्गत धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं|

अभियुक्तगण रामकृपाल सिंह पटेल, वीर सिंह पटेल, निर्भय सिंह, शक्ति प्रताप सिंह तोमर, सत्य नारायण पटेल, भैया लाल यादव, सुनील सिंह, गौरी शंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, रामगोपाल केशरवानी, विनय प्रकाश पाण्डेय, हरि गोपाल उर्फ बबलू, नरेंद्र गुप्ता, कमल मौर्या तथा मनोज सिंह आरोप अंतर्गत धारा 332,353,336,504 तथा 506 भारतीय दंड संहिता और आरोप अंतर्गत धारा 6 संयुक्त प्रांत विशेष शक्ति अधिनियम में दोषमुक्त किए जाने योग्य है|

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्तगण गुलाब खां, महेंद्र गुलाटी तथा राजेंद्र शुक्ला आरोप अंतर्गत धारा 6 संयुक्त प्रांत विशेष व्यक्ति अधिनियम में दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं। अभियुक्तगण गुलाब खां, महेंद्र गुलाटी तथा राजेंद्र शुक्ला आरोप अंतर्गत **147,323,332,353,336,504,506 भारतीय दंड संहिता** तथा आरोप अंतर्गत धारा 7 **क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट** में दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

मुकदमा नं०-22/2022, अपराध सं०-3842/2009, थाना कोतवाली कर्वी जिला चित्रकूट के प्रकरण में अभियुक्तगण **रामकृपाल सिंह पटेल, वीर सिंह पटेल, निर्भय सिंह, शक्ति प्रताप सिंह तोमर, सत्य नारायण पटेल, भैया लाल यादव, गौरी शंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, रामगोपाल केशरवानी, विनय प्रकाश पाण्डेय, हरि गोपाल उर्फ बबलू, नरेंद्र गुप्ता, कमल मौर्या, सुनील सिंह तथा मनोज सिंह** को आरोप अंतर्गत धारा **147 तथा 323/149 भारतीय दंड संहिता** तथा आरोप अंतर्गत धारा 7 **क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट** में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण **रामकृपाल सिंह पटेल, वीर सिंह पटेल, निर्भय सिंह, शक्ति प्रताप सिंह तोमर, सत्य नारायण पटेल, भैया लाल यादव, सुनील सिंह, गौरी शंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल, रामगोपाल केशरवानी, विनय प्रकाश पांडे, हरि गोपाल उर्फ बबलू, नरेंद्र गुप्ता, कमल मौर्या तथा मनोज सिंह** को आरोप अंतर्गत धारा **332,353,336,504, 506 भारतीय दंड संहिता** एवं आरोप अंतर्गत धारा **6 संयुक्त प्रांत विशेष शक्ति अधिनियम** में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण **गुलाब खां, महेंद्र गुलाटी तथा राजेंद्र शुक्ला** को आरोप अंतर्गत धारा 6 **संयुक्त प्रांत विशेष शक्ति अधिनियम** में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण **गुलाब खां, महेंद्र गुलाटी तथा राजेंद्र शुक्ला** को आरोप अंतर्गत **147,323,332,353,336,504,506** भारतीय दंड संहिता तथा आरोप अंतर्गत धारा 7 **क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट** में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेत पत्रावली कुछ समय उपरांत पेश हो।

दिनांक-21.11.2022

(संजय कुमार-V)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चित्रकूट
J.O.Code-UP01773

WWW.LIVELAW.IN

पत्रावली पेश हुई।

विद्वान अभीयोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा लोक व्यवस्था व शांति व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया गया है तथा लोग कर्तव्यों के पालन में लगे पुलिस बल के सदस्यों को घायल किया है अतः अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण ने विचारण में सहयोग प्रदान किया है। अभियुक्तगण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण को प्रोबेशन पर छोड़ने की याचना की गई।

अभियुक्तगण के द्वारा जुलूस निकालते हुए ट्रेन के आवागमन को बाधित किया गया है और रास्ते पर धरना प्रदर्शन कर रास्ते के आवागमन को बाधित किया है तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखने में लगाए गए पुलिस बल पर पथराव कर उन्हें घायल किया है। अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से सभी लोग प्रभावित हुए है। अभियुक्तगण को निम्न दंण्डादेश से दण्डित कर न्याय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा नं०-22/2022, अपराध सं०-3842/2009, थाना कोतवाली कर्वी जिला चित्रकूट के प्रकरण में अभियुक्तगण **रामकृपाल सिंह पटेल, वीर सिंह पटेल, निर्भय सिंह, शक्ति प्रताप सिंह तोमर, सत्य नारायण पटेल, भैया लाल यादव, गौरी शंकर मिश्रा, भोलानाथ खंगार, कुबेर पटेल,रामगोपाल केशरवानी, विनय प्रकाश पाण्डेय, हरि गोपाल उर्फ बबलू, नरेंद्र गुप्ता, कमल मौर्या, सुनील सिंह व मनोज सिंह** को आरोप अंतर्गत **धारा 147 भारतीय दंड संहिता** में **01-01(एक-एक) वर्ष** के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है, आरोप अंतर्गत धारा **323 सपठित 149 भारतीय दंड संहिता** में उक्त अभियुक्तगण को **01-01(एक-एक) वर्ष** के साधारण कारावास व ***₹500-500/-*** अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर उक्त प्रत्येक अभियुक्तगण को **01-01(एक-एक) माह** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोप अंतर्गत **धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट** में उक्त अभियुक्तगण को **03-03(तीन-तीन) माह** के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है।

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्तगण **गुलाब खां, महेंद्र गुलाटी तथा राजेंद्र शुक्ला** आरोप अंतर्गत धारा **6 संयुक्त प्रांत विशेष शक्ति अधिनियम** में **01-01(एक-एक) माह** के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

आदेश की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाए।

अभियुक्तगण द्वारा जेल में बिताई गई अवधि यदि कोई हो, तो **धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अनुसार इस सजा में समाहित की जाएगी।

धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान हेतु अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियां एवं व्यक्तिगत बंधपत्र अपील की अवधि के लिए,अपील होने की दशा पर माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बावत प्रभावी रहेंगे।

निर्णय की एक प्रति अंतर्गत धारा 365 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

दिनांक-21.11.2022

(संजय कुमार-V)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चित्रकूट
J.O.Code-UP01773

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित कर सुनाया गया।

दिनांक-21.11.2022

(संजय कुमार-V)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चित्रकूट
J.O.Code-UP01773

WWW.LIVELAW.IN

WWW.LIVELAW.IN

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2022.11.21 15:00:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court